



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 162-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021 (ASVINA 9, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्टूबर, 2021

संख्या 49/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, -

- क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (3) में, "12कक" अंक और अक्षर के बाद, "या 12कख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- क्रम संख्या 9कक के सामने, खाना (3) में, "2020" अंकों के बाद, "जब भी पुनः निर्धारित हो", शब्दों को रखा जाएगा;
- क्रम संख्या 9कक और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कख"	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले एशियाई फुटबाल परिसंघ महिला एशिया कप, 2022 के अंतर्गत किसी भी इवेंट में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए.एफ.सी.) और उसकी सहायिकियों द्वारा या उनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रमाणित करे कि ये सेवाएं प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः से एशियाई फुटबाल परिसंघ महिला एशिया कप, 2022 के अधीन किसी भी इवेंट से संबंधित हैं।

- क्रम संख्या 9घ और 13 के सामने, खाना (3) में, "12कक" अंक और अक्षर के बाद, "या 12कख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- क्रम संख्या 19क और 19ख के सामने, खाना (5) में, "2021" अंक के स्थान पर, "2022" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (vi) क्रम संख्या 43 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 61 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"61क	शीर्ष 9991	संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में परिचालन के लिए माल ढुलाई हेतु राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं।	शून्य	शून्य";

- (viii) क्रम संख्या 72 के सामने, खाना (3) में, "कुल व्यय" शब्दों से पूर्व, "75% या अधिक का" अंक, चिह्न और शब्द रखे जाएंगे;
- (ix) क्रम संख्या 74क और 80 के सामने, खाना (3) में, "12कक" अंक और अक्षर के बाद, "या 12कख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (x) क्रम संख्या 82क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82ख	शीर्ष 9996	एशियाई फुटबाल परिसंघ महिला एशिया कप, 2022 के अधीन आयोजित इवेंटों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	शून्य	शून्य"

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2021

No. 49/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (3) and (4) of Section 9, Sub-section (1) of Section 11, Sub-section (5) of Section 15 and Section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.47/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table,-

- (i) against serial number 1, in column (3), after the figure and letters "12AA", the word, figure and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (ii) against serial number 9AA, in column (3), after the words "hosted in India", the words "whenever rescheduled" shall be inserted;
- (iii) after serial number 9AA and the entries thereagainst, the following shall be inserted namely : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9AB	Chapter 99	Services provided by and to Asian Football Confederation (AFC) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022."

- (iv) against serial number 9D and 13 in column (3), after the figure and letters "12AA", the word, figure and letters " or 12AB" shall be inserted;
- (v) against serial number 19A and 19B, in column (5), for the figures "2021", the figures "2022" shall be substituted;
- (vi) serial number 43 and the entries thereagainst in all columns shall be omitted;
- (vii) after serial number 61 and the entries thereagainst, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"61A	Heading 9991	Services by way of granting National Permit to a goods carriage to operate throughout India / contiguous States.	Nil	Nil"

- (viii) against serial number 72, in column (3), after the word "for which", the figure, symbol and words "75% or more of the" shall be inserted;
- (ix) against serial number 74A and 80, in column (3), after the figure and letters "12AA", word, figure and letters " or 12AB" shall be inserted;
- (x) after serial number 82A and the entries thereagainst, the following shall be inserted namely : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82B	Heading 9996	Services by way of right to admission to the events organised under AFC Women's Asia Cup 2022	Nil	Nil"

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.